

24/5/16

पञ्जाब की राज राजस्व लोक कानून विधि कोर्ट के
कमरा में पेश हुई वकील शर्मा उपस्थित। विधायक
रिपुस्थित। वकील शर्मा की शुरुवात तथा प्रश्नोत्तर
जागरूकता गरी इत न्यायालय द्वारा कन्सिडरेशन
डिपेंड 04.02.14 के तौर पर चलाया जाना
न्यायालय इच्छित नहीं समझता है बल्कि कन्सिडर
एफाइन डिपेंड 4.2.14 तिरस्त कि जाकर
गैरिग रकॉर्ड कि जाता है पञ्जाब विधीय
रुग्ण होकर बल वाद के साथ नटनी है।



सहायक कलेक्टर
SPO (पुढासतानी)